

**दिनांक 15.01.2015 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या**

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम—

लखनऊ जोन, मुख्यालय, लखनऊ

(समस्त प्रकरण निस्तारित)

| क्रम सं० | आवेदक का नाम, पता एवं पता  | शिकायत का विषय   | पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि | निस्तारण हेतु दिया गया समय | कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति   | टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित) |
|----------|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 1.       | श्री सन्त राम पाल ईश्वरी खेड़ा, उत्तरठिया, लखनऊ<br>मो०नं०-9559239442         | छोड़ी गयी आर०सी०सी० सड़क के निर्माण के संबंध में।  |  | एक माह                     | अधिशारी अभियन्ता नि०ख०-12 ने अपने पत्र 452 दिनांक 11.02.2015 द्वारा अवगत कराया है कि पूर्व के अनुबन्ध में उक्त सड़क नहीं थी। अगले अनुबन्ध में अवशेष सड़क शामिल कर ली जायेगी।   | प्रकरण निस्तारित           |
| 2.       | श्री विनोद कुमार बरौली खलीलाबाद, पो०-उतरेठिया, लखनऊ।<br>मो०नं०-9670442401    | अवैध निर्माण न गिराये जाने के संबंध में।   |  | 15 दिन                     | अधिशारी अभियन्ता, नि०ख०-12 के पत्रांक 1408 दिनांक 23.06.16 द्वारा श्री विनोद कुमार आदि द्वारा नियमानुसार 5% भूमि आवंटित किये जाने पर विचार किये जाने के आदेश जारी किये गये।  | प्रकरण निस्तारित           |
| 3.       | श्री शेवराज सिंह सी-98/9, शास्त्री नगर, मेरठ<br>मो०नं०-09759167765           | 28 ए लागू न होने के उपरान्त अवशेष धनराशि भुगतान के सम्बन्ध में।                                |  |                            | अधि०अभि०, नि०ख०-8 के पत्रांक 121/जी-19/09 दिनांक 15.01.2015 द्वारा आवेदक को धारा 28-ए के प्राविधान परिषद में अंगीकृत नहीं किये गये हैं से सम्बन्धित सूचना प्रेषित की गयी। अतः प्रकरण पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। | प्रकरण निस्तारित           |
| 4.       | श्री मुकेश कक्कड़ C/O जगन्नाथ एन्ड सन्स, डालीगंज, लखनऊ।<br>मो०नं०-9451244348 | वृन्दावन योजना के प्रिमियम भूखण्ड सं०-5 ई-1/पीएच-3 के विरुद्ध जमा धनराशि वापसी के सम्बन्ध में। |  | एक सप्ताह                  | उप आवास आयुक्त वृन्दावन योजना के 1658 दिनांक 24.02.2015 द्वारा आवंटी द्वारा जमा टोकन राशि जब्त करते हुये अवशेष धनराशि बिना ब्याज वापस करने के आदेश निर्गत।   | प्रकरण निस्तारित           |
| 5.       | श्री एम०पी० बघेल 10-सी-66, वृन्दावन योजना, लखनऊ।<br>मो०नं०-9454412492        | सेक्टर-10 के निवासियों की समस्या समाधान के सम्बन्ध में।  | -  | एक माह                     | अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त/ अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-31 एक माह के अन्दर समस्या का निस्तारण कराने के निर्देश दिये गये। कार्य पूर्ण करा दिया गया है।  | प्रकरण निस्तारित           |

|    |   |  |  |           |   |                     |
|----|---|--|--|-----------|---|---------------------|
| 6. | श्री संजीव कुमार<br>1564,राजेन्द्र नगर, उरई<br>जलौन।<br>मो0नं0-8381962724     | वृन्दावन योजना के भूखण्ड<br>संख्या-12 ए/335 की<br>रजिस्ट्री मे अनावश्यक धनराशि<br>मांगे जाने विषयक |  | 15 दिन    | अध्यावधिक धनराशि जमा न होने व देय स्टैम्प<br>ड्यूटी के पेपर जमा न करने कारण निबन्धन<br>लम्बित। आवेदक को बकाया धनराशि व स्टैम्प<br>ड्यूटी से अवगत कराया गया। | प्रकरण<br>निस्तारित |
| 7. | सुश्री नीलम यादव<br>569 के/331, स्नेहनगर<br>आलमबाग,लखनऊ।<br>मो0नं0-8423194939 | पंजीकरण धनराशि वापस किये<br>जाने के सम्बन्ध मे।  |  | एक सप्ताह | उप आवास आयुक्त, वृन्दावन के पत्रांक 1035<br>दिनांक 3.02.2015 द्वारा पंजीकरण धनराशि प्रेषित<br>किये जाने की आख्या प्रेषित।                                   | प्रकरण<br>निस्तारित |
| 8. | श्री जय भगवान शर्मा<br>डी-105/1, इन्दिरा नगर,<br>लखनऊ।<br>मो0नं0-9559355864   | ब्याज माफ किये जाने के<br>सम्बन्ध में।   |  |           | सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, इन्दिरा नगर ने<br>नियमानुसार ब्याज माफ किये जाना सम्भव नहीं<br>अवगत कराया।  | प्रकरण<br>निस्तारित |